R-349-I/14

न्यायालय श्रीमान् सम आदरणीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प उज्जैन.(म.प्र.)

प्रकरण कमॉक–   / निगरानी 2013

सुरेश उर्फ छोटू पिता मॉगीलाल करेल
आयु–47 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार,
निवासी–छोटा बाजार रामपुरा, जिला नीमच
.... आवेदक

विरूद्ध

1.पन्नालाल पिता नारू जी भील, आयु–47
2.मोहनीबाई पत्नी स्व. प्रभूलाल, आयु–62
3.बाबूलाल पिता प्रभूलाल, आयु–32 वर्ष,
4.सिंघालाल पिता प्रभूलाल, आयु–25 वर्ष
समस्त व्यवसाय–खेती, समस्त निवासीगण
नरवाली, तहसील थाना रामपुरा जिला
नीमच (म.प्र.)   .... अनावेदकगण

न्यायालय पी.आर.कतरोलिया, अतिरिक्त कलेक्टर, नीमच जिला नीमच के प्रकरण कमॉक 45 / अपील / 2012–13 में पारित आदेश दिनॉक 30.12.2013 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

मान्नीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी मेमो निम्नलिखित प्रस्तुत हैं–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, अनावेदक क.1 पन्नालाल पिता नारू भील निवासी ग्राम नरवाली तहसील रामपुरा, जिला नीमच के द्वारा श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय, म.प्र. शासन भोपाल को इस आशय का एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम नरवाली में पटवारी हल्का नं. 83 में प्रभू पन्ना पिता नारू व नंदूबाई बेवा भील के नाम से कृषि भूमि 64 / 1 रकबा 1.782 हैक्टर लगानी 5 / – पॉच रूपये की भूमि स्थित हैं जिसमें मेरी माता का निधन हो गया हैं व मेरे भाई प्रभूलाल की मृत्यु हो गई हैं एवं भाभी मोहनी बाई जीवित हैं। जबकि, उक्त भूमि में मेरा 1 / 2 हिस्सा व कब्जा है। मेरे भाई ने उसके हिस्से की जमीन विपक्षी सुरेश उर्फ छोटू करेल के पास पूर्व में गिरवी रखी थी। मेरे भाई की मृत्यु के बाद विपक्षी सुरेश उर्फ छोटू पिता मॉगीलाल करेल निवासी छोटा बाजार रामपुर व अगरलाल पिता दीपा जी भील निवासी गोपालपुरा, तहसील रामपुरा दोनो ने मिलकर मेरी व मेरे भाई के हिस्से की सारी जमीन पर जबरन हॉक जोतकर कब्जा कर लिया हैं, इन लोगो से कब्जा दिलवाया जावें। इस आशय का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा प्रकरण 170 ख का मानते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

अविरत......... 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 349–एक / 2014 जिला नीमच

सुरेश विरूद्ध पन्नालाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-3-2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त कलेक्टर नीमच जिला नीमच के प्रकरण कमांक 45 / अपील / 2015 में पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक ने अनावेदकों की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है अधबटाई पर जमीन ली है जिसपर वह खेती करता है। पन्नालाल की भूमि है। आवेदक ने प्रभूलाल से अधबटाई पर ली है। पन्नालाल ने प्रभूलाल के विरूद्ध अवैध कब्जा किये जाने संबंधी आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया था जिसकी अपील अपर कलेक्ट को की गई जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में प्रथमदृष्टया ग्राह्यता का आधार प्रकटन नहीं होता है। आवेदक अपने तर्क में यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि उसने जो जमीन अधबटाई पर ली है वह प्रभूलाल से ली है अथवा पन्नालाल से। किस हिस्से को अधबटाई पर लिया है और अनावेदक द्वारा किस हिस्से पर से कब्जा हटाना चाह रहे हैं। भूमिस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य	

व्यक्ति द्वारा उसकी सहमति के बिना भूमि अधबटाई पर लेना अथवा किसी अन्य को अधबटाई पर देना अवैध कब्जा माना जाएगा। आवेदक कब्जे की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। आवेदक अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में त्रुटि बतलाने में असमर्थ रहा है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य